निर्णय लोक अदालत/कोर्ट कैम्प द्वारा श्री के.आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ कैम्प–कुंआथल

प्र0सं0 2/2017/अनाक

निर्णय दिनांक :–08.06.2017

अनवान

1. श्री मांगू पिता धीसू सिंह रावणा राजपूत निवासी बियाना तहसील देवगढ़

——अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री जगदीश पिता बंशीलाल रावणा राजपूत निवासी बियाना तहसील देवगढ
2. श्री शंकर पिता बंशीलाल रावणा राजपूत निवासी बियाना तहसील देवगढ
3. श्री गणपत पिता बंशीलाल रावणा राजपूत निवासी बियाना तहसील देवगढ
4. श्री हुकम सिंह पिता बंशीलाल रावणा राजपूत निवासी बियाना तहसील देवगढ
5. श्री रमेश सिंह पिता मोती सिंह रावणा राजपूत निवासी बियाना तहसील देवगढ़
6. श्री दिलीप सिंह पिता मोती सिंह रावणा राजपूत निवासी बियाना तहसील देवगढ़
7. श्रीमती बदाम कंवर पत्नी मोती सिंह रावणा राजपूत निवासी बियाना तहसील देवगढ़
8. सरपंच ग्राम पंचायत कुंआथल तहसील देवगढ़

——रेस्पोडेण्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कुंआथल मे पेश हुई। पक्षकरान को जारी सूचना पत्र तामिल हो शामिल पत्रावली है। पक्षकारान उपस्थित है। अपीलाण्ट की अपील का अवलोकन किया विवरण संक्षेप में इस प्रकार है।

अपीलाण्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के पेश कर निवेदन किया कि श्री खेमा, राजा पिता कुशाल की खातेदारी भूमि ग्राम बियाना मे स्थित है जिसके आराजी न. 377 रकबा 0.17 बीस्वा आराजी नं. 378 रकबा 0.13 बीस्वा आराजी नं. 389 रकबा 0.14 बीस्वा आराजी नं. 380 रकबा 0.09 बीस्वा आराजी नं. 376 रकबा 0.02 बीस्वा कुल किता 5 रकबा 2.15 बीघा है। श्री गुमान सिंह पिता पदम सिंह राजपूत से भूमि क्रय की जिसके नामान्तकरण संख्या 61 से भूमि इनके नाम दर्ज हुई। कालिन समय में हमारे पूर्वज संयुक्त परिवार में रहते थे एवं उसी समय भूमि का के पर बंटवारा कर दिया उसी बंटवारे अनुसार आज भी हम भूमि का उपयोग भोग कर रहें है एवं चाह आराजी नं. 376 रकबा 0.02 बीस्वा में भी हमारे पूर्वजों का सा दर्ज होकर अपीलाण्ट का हिस्सा दर्ज हो चुका है। अपीलाण्ट के परदादा ल की मृत्यु के समय उनके चार पुत्र चमना राजा गणेश खेमा थे जो सगे भाई

थे। चमना अपीलाण्ट के दादा थे एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 अपीलाण्ट के दादा के सगे भाई के पुत्र एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 5 से 7 अपीलाण्ट के पिता घीसू सिंह के भाई मोती सिंह (मृतक) के पुत्र व पत्नी है। ग्राम बियाना की जमाबन्दी सम्वत् 2019 से 2022 में खातेदार राजा, चमना पिता कुशाल खाता सख्या 25 में आराजी नं. 377 रकबा 0.17 बीस्वा आराजी नं. 378 रकबा 0.13 बीस्वा आराजी नं. 379 रकबा 0.14 बीस्वा आराजी नं. 380 रकबा 0.09 बीस्वा किता 4 रकबा 2.13 बीघा दर्ज रेकार्ड थी एवं श्री राजा के लाऔलाद मृत्यु हो जाने से नियमानुसार उनके वारिस चमना, खेमा पिता कुशाल के नाम से नामान्तकरण दर्ज करना चाहिए था परन्तु नामान्तकरण संख्या 83 में सही वारिसान की जांच नही कर केवल खेमा के नाम ही नामान्तकरण दर्ज कर लिया जो सही नही है। जबकि सम्पूर्ण भूमि में राजा का 1/2 हिस्सा था उसके लाऔलाद फोत हो जाने के बाद 1/4 हिस्सा उसके भाई चमना को मिला तथा 1/4 हिस्सा खेमा को मिला जिससे भूमि में खेमा का 3/4 हिस्सा हो गया। खेमा ने आरजी नं. 377 रकबा 0.17 एवं आराजी नं. 380 रकबा 0.09 कुल किता 2 रकबा 1.06 बीघा का बेचान श्री सुमेर सिंह पिता अभय सिंह को कर दिया इस प्रकार खेमा का सम्पूर्ण 1/2 हिस्से का बिकाव हो चुका है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फर्मायी जाकर नामान्तकरण संख्या 83 व पश्चात् वर्ती नामान्तकरण संख्या 116 ग्राम कुंआथल पटवार हल्का कुंआथल तहसील देवगढ़ निरस्त किया जाकर ग्राम बियाना में अपीलाण्ट जो चमना के उत्तराधिकारी है के हिस्से की भूमि उनके नाम दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावें।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगण को सम्मन जारी कर प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कुंआथल में नियत की गयी। नियत केम्प में आपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 6 ,5 उपस्थित हुए जिन्होने अपील की दाद अनुसार अपील की निस्तारण करने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। रेस्पोडेण्ट संख्या ..,6,7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिस पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी।

हमने अपीलाण्ट की अपील नकल नामान्तकरण नकल जमाबन्दी अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत सजरा एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं उन पर मनन किया उपर्युक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत कुंआथल में ग्राम बियाना का नामान्तकरण संख्या 83 दिनांक 06.06.1965 पारित करते समय पूर्ण रूप से जांच नही की तथा बिना जांच के ही उक्त नामान्तकरण पारित कर दिया जो नियम विरूद्ध है। ग्राम पंचायत को चाहिए था कि वह मृतक वारिसान के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से जांच कर नियमनानुसार निर्णय पारित करती लेकिन ग्राम पंचायत ने ऐसा नही किया।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत कुंआथल द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 83 दिनांक 06.06.01965 एवं इसके पश्चात् वर्ती नामान्तकरण संख्या 116 दिनांक 22.09.1970 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार देवगढ़ को इस आशा के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को सूचनापत्र जारी कर नियमानुसार उनकी सुनवाई की जाकर विधिवत निर्णय पारित किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे निर्णय आज दिनांक 08.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कुंआथल में मजमे आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

देवगढ़